

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE



उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

फाइल नम्बर :9-HRB019/2020-CHA

विनांक: .03.2020

सेवा में.

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, C- 18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.12771 ha of forest land in favour of SDO, Construction Sub Division, HVPNL Kaithal for contruction of 132 KV S/C Neemwal-Bhagal line corssing various strips of protected forest land, under Forest Division and District Kaithal, Haryana. (online proposal no. FP/HR/Traus/41326/2019)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9181/4301 दिनांक 25.02.2020.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भाकिंत पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.12771 वन भूमि की मांग की गई है।

- प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:
 - i) Correction be made in Area of forest alnd proposed for diversion under column A-1 (viii) in part-I.
 - Layout plan uploaded under Additional Information details in part-I online is not ii) matching with plan provided with proposal. Revised/corrected layout plan be uploaded and provided.
 - iii) Species wise name and girth wise enumeration of trees in column 4(ii) in part-II is shown as NIL whereas in coverning letter it is shown as 54 trees.
- उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है |

Encl: as above

भवदीय

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि ।

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Kaithal, Haryana.

2. The SDO, Construction Sub Division, HVPNL Kaithal.